संख्या- 279/2024**/**3507/41-1-2023-**सी0एन0-**1475689-2021-69-**बजट**-2018

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 **लखनऊ:: दिनांक: 05 मार्च, 2024**

विषय:- जनपद चमोली के तहसील जोशीमठ में स्थित श्री बद्रीनाथ धाम में पर्यटक आवास गृह के निर्माण कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-2664/6-1-1(959)/2018/2018-19, दिनांक 27.07.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद चमोली के तहसील जोशीमठ में स्थित श्री बद्रीनाथ धाम में पर्यटक आवास गृह के निर्माण के सम्बन्ध में स्वीकृत आगणन एवं पुनः कार्य स्थल के आवश्यकतानुसार अनुमोदित मानचित्र के अनुरूप गठित आगणन पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-186/2019/1259/41-2019-69(बजट)/2018 दिनाँक 03.07.2019 द्वारा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए रू0 1109.69 लाख +जी0एस0टी0(वास्तविक भुगतान के आधार पर) की प्रशासकीय तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 443.88 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी । तत्पश्चात् प्रश्नगत प्रायोजना हेतु शासनादेश संख्या-701/2021/आई/119849/41-1002(001) /54/2021-69 (बजट)/2018 दिनाँक 07.12.2021 द्वारा रू0 1700.59 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गई।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चमोली के तहसील जोशीमठ में स्थित श्री बद्रीनाथ धाम में पर्यटक आवास गृह के निर्माण कार्य हेतु पी0एफ0ए0डी0 (मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न) द्वारा आंकलित की गयी धनराशि रू0 1723.16 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) पर्यटन अनुभाग के शासनादेश संख्या-186/2019/1259/41-2019-69(बजट)/2018 दिनाँक 03.07.2019 एवं शासनादेश संख्या-701/2021/आई/119849/41-1002(001)/54/2021-69 (बजट)/ 2018 दिनाँक 07.12.2021 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जायेगा ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-3227/दस-2023-231/ 2023, दिनांक-17 मार्च, 2023 एवं यथा संशोधित कार्यालय-ज्ञाप संख्या-10/ 2023/बी-1-302/दस-2023-231/2023दिनांक 19.09.2023 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित वाहय विद्युत संयोजन हेतु एकमुश्त लागत रू0 5.00 लाख तथा वॉटर कनेक्शन हेतु एकमुश्त रू0 5.00 लाख प्रस्तावित की गयी है। अत: निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व उक्त का सम्बन्धित विभाग से विस्तृत आगणन प्राप्त कर लिया जाय तथा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त की जाय।

(4) प्रायोजनान्तर्गत डी0जी0 सेट की लागत को इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। अतः क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करें। पर्यटन निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रायोजनान्तर्गत नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(6) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/पर्यटन निदेशालय को होगा।

(7) प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व पर्यटन निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त कार्य न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में अच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(9) प्रायोजनान्तर्गत जी0एस0टी0 की देयता वास्तविकता के अनुसार होगी तथा पर्यटन निदेशालय द्वारा सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(10) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी पर्यटन निदेशालय/कार्यदायी संस्था की होगी।

(11) सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

66/दस- 2023- 17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(12) परियोजना के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट एक पक्ष के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी । परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में उक्त कृत्य को अनियमितता मानते हुए सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक/अपर परियोजना प्रबन्धक एवं ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज कराने की कार्यवाही पर्यटन निदेशालय/सम्बन्धित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/ उपनिदेशक, पर्यटन द्वारा की जायेगी ।-

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-7-181-X-2023-24, दिनांक 21.09.2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)प्रथमद्वितीय/, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार द्वितीय/प्रथम (परीक्षा-लेखा), उ0प्र0, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, चमोली।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7. उप निदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-4, 5, 6, 8 व 9 को आदेश की प्रति अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
8. महाप्रबन्धक, (उत्तराखण्ड) उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, देहरादून ।
9. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, यूनिट-2, श्रीनगर, गढ़वाल ।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-7
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।